न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर ए एस

मुकदमा नम्बर 168/2024 राजस्व वाद

01. बसन्ती लाल पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– वादी

बनाम

01. डालु पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02. मदन पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. सुखा पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. देवा पुत्र भूरा भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. लादू पुत्र भूरा भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. तोताराम पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. मदन लाल पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा ––अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– ––प्रतिवादी संख्या 01 से 07
3. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 08

:: निर्णय :: दिनांक– 01/08/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 145 रकबा 1.9096 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसका बाद विभाजन बटा नम्बर 3586/145, 3587/145, 3588/145, 3589/145 कायम हुए, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06, 07 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06, 07 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 284/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 03.11.2022 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को होने पर माह अप्रेल 2023 मे आराजी नम्बर 145 के दक्षिणी पूर्वी कोने की दक्षिणी मेड़ पर 0.0670 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 05 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 05.06.2023 को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 ने दिनांक 06.10.2024 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 को धमकी दी कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01

लगायत 05 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 3588 / 145 व आराजी नम्बर 3589 / 145 के दक्षिणी पूर्वी कोने के दक्षिणी मेड पर रकबा 0.0670 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06,07 को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06, 07 की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 3588 / 145 व आराजी नम्बर 3589 / 145 के दक्षिणी पूर्वी कोने के दक्षिणी मेड पर रकबा 0.0670 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 168 / 2024 राजस्व वाद

01. बसन्ती लाल पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– वादी

बनाम

01. डालु पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. मदन पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुखा पुत्र भैरू भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. देवा पुत्र भूरा भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
05. लादू पुत्र भूरा भील आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
06. तोताराम पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।
07. मदन लाल पुत्र दीपचन्द कलाल (जायसवाल) आयु वयस्क निवासी–लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादीगण की ओर से श्री अशोक लखारा, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 01.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 3588 / 145 व आराजी नम्बर 3589 / 145 के दक्षिणी पूर्वी कोने के दक्षिणी मेड पर रकबा 0.0670 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 01.0८.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0
—— प्रतिवादीगण
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम